



Neutral Citation No. - 2026:AHC:57735

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के तहत आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या - 2537/2026

महेश और 3 अन्य

.....अपीलार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रत्यर्थी (गण)

अपीलार्थी (गण) के अधिवक्ता

:

इरशाद अहमद

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता

:

शासकीय अधिवक्ता

न्याय कक्ष संख्या-72

माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा

- हमने श्री इरशाद अहमद, जो श्री मोहम्मद नशीद की ओर से उपस्थित थे, अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के लिए शासकीय अधिवक्ता श्री उमा शंकर मिश्रा को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
- यह आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 03/2021 में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए प्रस्तुत किया गया है; यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 308, 323 और 504 के तहत, पुलिस थाना बहजोई, जिला संभल में दर्ज है। इस आवेदन में यह प्रार्थना की गई है कि यदि आवेदक को गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए।
- अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रारंभ में अपीलार्थीगण के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 325, 323 और 504 के तहत दर्ज की गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट में सभी अपीलार्थीगण पर केवल सामान्य आरोप लगाए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने सूचनादाता पर हमला किया था। बाद में, जांच अधिकारी ने एक पूरक आख्या के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 308 को जोड़ा, जबकि भारतीय दंड संहिता की धारा 325 को हटा दिया गया। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि किसी भी अपीलार्थी को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है। इसके अलावा, पीड़ित को लगी चोटों में से कोई भी जानलेवा नहीं पाई गई है, सिवाय एक फ्रैक्चर वाली चोट के, जो अपने आप में भारतीय दंड संहिता की धारा 308 के अंतर्गत नहीं आती है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थीगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी निवेदन किया गया कि अपीलार्थी मुकदमे के दौरान सहयोग करने का वचन देते हैं और जांच संस्था या न्यायालय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उपस्थित होंगे। यह कहा गया है कि यदि अपीलार्थीगण को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे और जांच में सहयोग करेंगे तथा जमानत की सभी शर्तों का पालन करेंगे।
- दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उन्हें अभी तक कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. प्रारंभ में, प्रथम सूचना रिपोर्ट भारतीय दंड संहिता की धारा 325, 323 और 504 के तहत दर्ज की गई थी। हालांकि, जांच के दौरान, भारतीय दंड संहिता की धारा 308 को जोड़ा गया और धारा 325 को हटा दिया गया। यह भी निवेदन किया गया है कि किसी भी अपीलार्थी को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है, और घायल के सिर में एक रैखिक फ्रैक्चर हुआ है।

6. यह उल्लेख किया जा सकता है कि **सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य (2011) 1 एससीसी 694** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अग्रिम जमानत का निर्णय करते समय न्यायालय को आरोप की प्रकृति और गंभीरता, आरोपी का पूर्ववृत्त, आरोपी के न्याय से भागने की संभावना पर विचार करना चाहिए और आरोपी के विरुद्ध उपलब्ध सभी सामग्री का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए तथा आरोपी की सटीक भूमिका को भी ध्यान में रखना चाहिए।

7. इस मामले में, अग्रिम जमानत के संबंध में स्थापित कानूनी सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें, अपीलार्थी की भूमिका और मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का मामला बनता है।

9. उपरोक्त मामले में अपराध के लिए अपीलार्थीगण- **महेश, ओमकार, कन्हैया और विकास** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उन्हें 2000 रुपये के व्यक्तिगत मुचलके पर अंतरिम अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा। अपीलार्थी **15.04.2026** तक 50,000/- रुपये की अग्रिम जमानत पर दो जमानती पेश कर सकते हैं, जो संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप हों। यह जमानत निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:-

(i) अपीलार्थी साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और निर्धारित तिथि पर निचली अदालत के समक्ष उपस्थित होंगे, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा उन्हें छूट न दी जाए;

(ii) अपीलार्थी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेंगे, जिससे वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से विवश हो;

(iii) अपीलार्थी मुकदमे के दौरान सहयोग करेंगे और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे;

(iv) अपीलार्थी संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे।

10. किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर, अभियोजन पक्ष अपीलार्थीगण को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने के लिए उचित आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होगा।

11. इस मुकदमे को 15.04.2026 को नए मुकदमे के साथ रखे।

12. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को अगली निर्धारित तिथि तक निर्देश प्राप्त करने का निर्देश दिया जाता है।

(न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा)

17 मार्च, 2026

नीतू

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"